छत्तीसगढ़ संवाद

(जनसंपर्क विभाग कि सहयोगी संस्था)

नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर (छ .ग.)

शासकीय परिसर में स्थायी होर्डिंग्स के स्थापना एवं वार्षिक रखरखाव (AMC) हेतु दर निर्धारण एवं योग्य फर्मो के एम्पैनलमेंट नियम एवं शर्ते

क्रमांक	नियम एवं शर्ते
1	सामान्य होर्डिंग्स एवं आयरन स्ट्रक्चर बोर्ड फाइनेंशियल बिड में उल्लेखित विवरण/गुणवत्ता अनुसार निर्माण कर लगाया जाना है। उक्त कार्य हेतु होर्डिंग्स लगाने वाले एजेंसियों जिनके पास होर्डिंग्स निर्माण हेतु work shop एवं कम से कम होर्डिंग्स निर्माण एवं स्थापित करने का दो साल का अनुभव हो |
2	एजेंसियों का गत दो वर्षों का औसतन टर्न ओव्हर कम से कम 25 लाख रूपए होने का C.A. का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। टर्न ओव्हर प्रमाण पत्र में होर्डिंग्स निर्माण कार्यो का टर्न ओव्हर उल्लेखित होना अनिवार्य है।
3	एजेन्सियों को छत्तीसगढ़ राज्य का पंजीकृत जीएसटी पंजीयन प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, माह जनवरी - 2022 की GSTR-3B एवं Assessment Year 2020-21 का आयकर रिटर्न की प्रतियाँ प्रस्तुत करना होगा |
4	निविदा प्रपत्र शुल्क रू. 1,180/- जीएसटी सहित (वापसी योग्य नहीं) एवं अमानत राशि रू. 1,00,000/- (बिना ब्याज के वापसी योग्य) छत्तीसगढ़ संवाद के बैक खाता में ऑनलाईन/ आरटीजीएस /एनईएफटी के माध्यम से जमा करना होगा एवं पावती/साक्ष्य की प्रति टेक्निकल बिड के साथ जमा करना होगा। छत्तीसगढ़ संवाद के बैंक खाता का विवरण निम्नानुसार है:- Account Name : Chhattisgarh Samvad Bank Name : Axis Bank Ltd. Branch Name : Pandri, Raipur (C.G.) Saving Account No. : 139010100021669 IFSC Code No. : UTIB0000139
5	संस्था द्वारा स्वप्रमाणित होर्डिंग्स निर्माण संबंधित कार्यरत कर्मचारियों एवं अनुभव की सूची प्रस्तुत करना होगा।
6	निविदा आमंत्रण का उद्देश्य दर निर्धारण एवं अनुभवी फर्मो का पैनल तैयार करने के लिए है।
7	दरें आमंत्रित करने के पश्चात् स्वीकृत दरों वाली एजेंसियों का पेनल बनाई जायेगी। होर्डिंग्स / आयरन बोर्ड लगाने का कार्य पैनल में शामिल एजेंसियों से न्यूनतम दर पर कराया जाएगा। यदि कार्य तात्कालिक प्रवृत्ति का हो या न्यूनतम दर वाली एजेंसी कार्य न कर पाने की स्थिति में हो तो पैनल में शामिल अन्य एजेंसी से उनकी क्षमता गुणवत्ता तथा कार्य स्थिति के अनुसार न्यूनतम दर पर कार्य कराया जा सकेगा।
8	होर्डिंग्स / आयरन बोर्ड छत्तीसगढ़ संवाद / विभाग के आदेशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य में कहीं भी चयनित स्थानों पर लगाया जाना होगा, एवं छत्तीसगढ़ संवाद से डिजाईन उक्त होर्डिंग्स में लगाया जाना है। फ्लैक्स में कहीं जोड़ नही होनी चाहिए।

9	20X10 फीट का स्थायी होर्डिग्स के साईज परिवर्तन होने पर 20X10 फीट के लिए प्राप्त न्यूनतम दर पर अनुपातिक रूप से प्रति होर्डिग्स का दर गणना किया जावेगा।
10	30X20 फीट का स्थायी होर्डिग्स के साईज परिवर्तन होने पर 30X20 फीट के लिए प्राप्त न्यूनतम दर पर अनुपातिक रूप से प्रति होर्डिग्स का दर गणना किया जावेगा।
11	आयरन बोर्ड 4X6 फीट का साईज में परिवर्तन होने पर 4X6 फीट साईज बोर्ड को मानक मानते हुए अनुपातिक रूप से दर गणना किया जावेगा।
12	समय सीमा व वांछित गुणवत्ता में कमी पाए जाने पर होर्डिग्स / आयरन बोर्ड की गुणवत्ता की संवाद द्वारा गठित समिति या संवाद /विभाग के अधिकारी-कर्मचारी से परीक्षण कराया जायेगा। कार्य वांछित गुणवत्ता या संख्या के अनुरूप नहीं होने पर कमी का आंकलन कर उसके अनुरूप देयक से राशि कटौती कर भुगतान किया जावेगा। गुणवत्ता या कार्य में गंभीर खामियां होने पर देयक का भुगतान नहीं किया जायेगा एवं L1 एजेंसी द्वारा कार्य नही करने पर सुरक्षा निधि राजसात की जा सकेगी और संबंधित एजेंसी को आगामी तीन वर्ष के लिए काली सूची में डाला जाएगा।
13	कार्य पूरा करने के पश्चात् संबंधित विभाग से संतोषजनक कार्य संपादन संबंधी प्रमाण-पत्र, स्थानों के विवरण के साथ लगाए गए होर्डिग्स / आयरन बोर्ड की सूची एवं छायाचित्र (2-2 प्रतियों में) के साथ देयक प्रस्तुत करना होगा। होर्डिग्स / आयरन बोर्ड के भौतिक सत्यापन के पश्चात एवं होर्डिग्स लगवाने वाले विभाग से भुगतान प्राप्त होने पर ही देयक का
14	छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा निर्धारित दरें निविदा अनुमोदन तिथि से आगामी दो वर्षों के लिए मान्य होगी। इसके पश्चात् अवधि में वृद्धि करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद के पास सुरक्षित होगा।
15	निविदा में अंकित दरें एवं शर्तों को स्वीकृत, अस्वीकृत अथवा शिथिल करने का पूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद के पास सुरक्षित रहेगा।
16	व्यवहार में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति निर्मित होने पर न्यायालीन क्षेत्र रायपुर, छत्तीसगढ़ ही होगा।
17	एजेंसी द्वारा निविदा प्रस्तुत करने का आशय यह होगा कि निविदाकार को उपरोक्त सभी नियम एव शर्तें मान्य है।
18	संबंधित निविदा दरें, अनुमोदन तिथि से दो वर्ष के लिए लागू होगी। विभाग से देयक भुगतान प्राप्त होने के पश्चात् संबंधित एजेंसियों के देयकों को भुगतान किया जायेगा। अग्रिम भुगतान नहीं किया जावेगा।
19	निविदा में अंकित दरें एवं शर्तो को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का तथा आवश्यकता अनुसार पैनल के एजेन्सी से कार्य कराने का पूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद के पास सुरक्षित रहेगा।

छत्तीसगढ़ संवाद

(जनसंपर्क विभाग कि सहयोगी संस्था)

नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर (छ .ग.)

20	छत्तीसगढ़ संवाद की वेबसाइट http://samvad.cg.nic.in में निविदा के टेक्नीकल बिड में वांछित दस्तावेज एवं फाईनेन्शियल बिड ऑनलाईन जमा किया जाना है। साथ ही ऑनलाईन जमा किये जाने वाले टेक्नीकल बिड एवं फाईनेन्शियल बिड के दस्तावेजों की प्रतियां निविदा जमा करने की अंतिम तिथि को अपरान्ह 3:00 बजे तक आवश्यक रूप से छत्तीसगढ़ संवाद भवन, नवा रायपुर अटल नगर के द्वितीय -तल में स्थित कक्ष क्र . SF-10 भण्डार शाखा में जमा करना होगा ।
21	छ.ग. शासन के किसी भी उपक्रम निगम, मंडल, विश्व विद्यालय स्ववित्तपोषी संस्था द्वारा काली सुची मे डाले गये मुद्रक निविदा मे भाग नही ले सकते। इस सम्बन्ध् मे मुद्रक को निर्धारित प्रारुप में रू. 50/- के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि मुद्रक को कहीं भी काली सूची मे नही डाला गया है।
22	आवश्यकता अनुसार समय समय पर डिजाईन परिवर्तन करने हेतु संवाद में उपलब्ध नॉन पी .वी .सी. (इको फ्रेंडली फ्लेक्स) का अनुमोदित दर पर फ्लेक्स मुद्रण हेतु भुगतान किया जायेगा | इसके अतिरिक्त होर्डिंग में फ्लेक्स लगाने हेतु प्रति होर्डिंग mounting charge का दर दिया जाना होगा |
23	आर्बिट्रेशन (मध्यस्थता):- किसी प्रकार के विवाद उत्पन्न होने एवं 30 दिवस के अंदर समाधान न होने की स्थिति में निर्णय हेतु मामला एकल आर्बिट्रेशन-प्रमुख सचिव/सचिव, जनसंपर्क विभाग को अग्रेषित किया जायेगा एवं उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा |
24	व्यवहार में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति निर्मित होने पर न्यायालीन क्षेत्र रायपुर, छत्तीसगढ़ ही होगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ संवाद
रायपुर

(रू. 50/– के स्टाम्प पेपर में नोटरी से सत्यापित शपथ–पत्र निविदा के टेक्निकल बिड में प्रस्तुत करना होगा)

शपथ–पत्र

मैं—————————संस्था प्रमुख निवासी ————————————छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा जारी निविदा प्रारूप, निर्धारित नियम एवं शर्त का पूर्ण रूप से अध्ययन करने के पश्चात ही उपरोक्त आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रहा/रही हूं। हमारे फर्म द्वारा वैधानिक देय राशियों का शासन की संबंधित खातों में जमा किया गया है, कोई देय राशि बकाया नहीं है। उपरोक्त आवेदन में अंकित कोई भी जानकारी अपर्याप्त/अधूरी या फिर गलत पाई जाती है तो इसे अस्वीकार/निरस्त करने का तथा हमारी संस्था को ब्लैकलिस्ट करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी छत्तीसगढ़ संवाद को होगा। इस बारे में मेरे या संस्था के किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी तरह की अपील या आपत्ति किसी क्षेत्र में नहीं की जायेगी। मुझे छग संवाद की उपरोक्त से संबंधित सभी नियम एवं शर्ते स्वीकार है।

यह कि हमारी संस्था ———————————— किसी शासकीय और अर्द्ध शासकीय विभाग/निगम/मंडल इत्यादि द्वारा ब्लैक लिस्टेट (काली सूची) नहीं की गई है।

स्थान —————————

दिनांक —————————

हस्ताक्षर

(पूरा नाम)

संस्था का नाम व मोहर